

अक्षय उत्सव कार्यक्रमों के लिए नई नीतियाँ 2012
के अंतर्गत: बुद्धिमान अधिकारों का प्राधान्य:-

6 i) विद्यार्थियों के अतिरिक्त परिवार के समान व्यवहार
व्यवहार और संबंध:-

ii) समाज में युवक और युवावत आजीवनी :-

iii) आरक्षक की समानता :-

iv) मानव विविधता का समानता :-

v) उपरोक्त :-

2017

vi) युवक और महिला के बीच समानता :-

vii) विद्यार्थी वर्गों के अंतर्गत समानता का समानता :-

विद्यमान अधिनियमों का अधिनियम 1995

4) रोजगार के अवसर प्रदान करना (providing opportunities of employment) :-

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों का प्रयत्न यह है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध तथा उनकी स्थापना (placement) की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिन क्षेत्रों में अक्षम व्यक्तियों के रोजगार मिल सकता है उन क्षेत्रों को सरकार द्वारा विकास किया जाना चाहिए।

5) आरक्षण व्यवस्था (Reservation System) :-

सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षण व्यवस्था होना चाहिए वर्तमान समय में सरकार द्वारा नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। इसमें 4% की व्यवस्था की गयी है।

6) यात्रा सम्बन्धी सुविधाएँ (Travelling Related facilities) :-

यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं में इन व्यक्तियों के लिए किराये में बसों का प्रावधान होना चाहिए।

7) अक्षमता रोकने के लिए शोध (Research for disability prevention) :-

इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। इन शोधकार्यों का प्रयत्न अक्षम व्यक्तियों को शारीरिक अक्षमताओं को रोकना तथा उन्हें दूर करना है।

यह - यह है कि अक्षमता को निवारित करने के लिए शोध कार्य में ही प्रियता मिल जाना चाहिए।

8. उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था (Arrangement of Construction of Instruments):

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को यह भी पारित होना कि शारीरिक शिक्षण में सम्बन्धित उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था की जाए, जिससे कम दर पर आवश्यक शिक्षण सामग्री को तैयार किया जा सके।

9. स्वास्थ्य सुविधाएँ (Health facilities):

शारीरिक शिक्षण में युवाओं की विद्यालय में स्थित डॉक्टर द्वारा शिक्षण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

10. उपकरण (Instrument):

शारीरिक रूप से शिक्षण सामग्री को तैयार करना सम्बन्धित उपकरण शिक्षण सामग्री को तैयार एवं उपलब्ध कराना चाहिए।

② Disability (असमर्थता) / अक्षमता :-

अक्षमता/असमर्थता की अवधारणा बहुत ही व्यापक है इसके अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से व्यक्तियों का एक सम्मिलित होना है

इस प्रकार अक्षमता की अवधारणा में मानसिक मर्दा, पिछड़ाये विकलांगता, बाधिता तथा अधिग्राम अक्षमता का अध्ययन किया जाता है

अक्षमता के दो प्रकार के होते हैं :-

- ① शारीरिक अक्षमता (physical Disability)
- ② मानसिक अक्षमता (mental Disability)

① शारीरिक अक्षमता (physical Disability) :-

शारीरिक विकलांगता से अभिप्राय है शरीर के अक्षमता है । जैसे - देखने, सुनने, खींचने, चलने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

शारीरिक अक्षमता (physical Disability)

